संख्या-54/2020/1433जेएल/22-3-2020-200(2)/2020

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधीक्षक,
आदर्श कारागार, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊः दिनांकः 05 अगस्त, 2020*

विषय- नारी बंदी निकेतन लखनऊ में निरूद्ध महिला बंदियों को गृह अवकाश की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-42/2020/964जेएल/22-3-2020-200(2)/2020, दिनांक 14-07-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्त शासनादेश के क्रम में पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-18596/प्रो0अनु0(2)-215/2020/होमलीव, दिनांक 28-07-2020 में की गयी सहमति/संस्तुति पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त नारी बंदी निकेतन लखनऊ की महिला बंदी-(1) रजन्ना, म0बं0सं0-1183 एवं (2) सुन्दारा, म0बं0सं0-1182 पुत्रीगण जफ्फू, निवासी जनपद-हरदोई को पूर्व स्वीकृत 15 दिन के गृह अवकाश में अग्रेतर 15 दिन की वृद्धि एतदद्वारा स्वीकृत की जाती है।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-54/2020/1433जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखत को सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1- निजी सचिव, मा0 कारागार राज्य मंत्री, उ0प्र0।
2- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-18596/प्रो0अनु0(2)-215/2020/होमलीव, दिनांक 28-07-2020 के संदर्भ में।
3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in